



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

| | | |
|---|--|---|
| वादीया शान्तिदेवी कुमावत पत्नी मांगीलाल कुमावत निवासी श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी | ब ना म | प्रतिवादी मदनलाल पुत्र मोहनराम जाति कुमावत निवासी श्रवणपुरा वगैरह तह. कुचामन |
| राजस्व वाद = स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 R.T.Act 1955 | | |
| वाद-पत्र नम्बर 60 /2022 | | GCMS No.2022/121 |
| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज | |
| नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए | | |
| 18/5/2022 | वकील वादी द्वारा यह राजस्व दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 R.T.Act 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 18.05.2022 को पेश हो। | |
| 10.5.2022 | वकील वादिना के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते पर पत्रावली काफ नम्बर पर ली गई। प्रार्थना पत्र में कथित किया है कि पत्रावली के मध्य शरीरगत के प्रमाण स्थापित वाद को नही चलाया जाये। वाद वादीना जाति विज्ञान खारिज किया जाये। वादिना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वाद वादिना जाति विज्ञान खारिज किया जाता है। पत्रावली फिलहाल मुफ्त केका नम्बर के का ब्यक्त करिष राहा है। | |
| |  उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) | |
| |  उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) | |

मध्यमनाम
 शान्ति कुमावत
 ID
 2/2022